



राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर
परिवहन मार्ग, चौमू हाऊस जयपुर(राजस्थान)302001

6
21/9/2017

क्रमांक: एफ. 4/मु/याता/लेखा (01)/17/738

दिनांक : 10/5/2017

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 4 मुख्यालय/यातायात/लेखा(1)/2014/413 दिनांक 27.05.2014 के द्वारा वातानुकूलित सुपर लकजरी वाहनों का यात्री किराया रूपये 1.90 प्रति यात्री प्रति किमी एवं वातानुकूलित सुपर लकजरी (मल्टी एक्सल) वाहनों का यात्री किराया रूपये 2.00 प्रति यात्री प्रति किमी निर्धारित किया गया था।

मुख्य प्रबन्धक डीलक्स आगार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये वातानुकूलित सुपर लकजरी एवं वातानुकूलित सुपर लकजरी (मल्टी एक्सल) श्रेणी की वाहनों का एक समान यात्री किराया रूपये 1.90 (AITP पर संचालित वाहनों को छोड़कर) प्रति यात्री प्रति किमी निर्धारित किया जाता है।

उक्त संशोधित दरें तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

यह आदेश सक्षम स्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(ज्योति चौहान)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

दिनांक : 10/5/2017

क्रमांक: एफ.4/मु/याता/लेखा.(01)/17/738

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रापनिगम, जयपुर।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष..... रापनिगम, मुख्यालय जयपुर।
- 3 उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) रापनिगम, मुख्यालय जयपुर राजस्थान परि. निगम मु. जयपुर को उक्त दरों को निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध करावें एवं ई.टी.आई.एम. एवं कम्प्यूटर में भी आवश्यक संशोधन उपरोक्तानुसार करावें।
- 4 उप महाप्रबन्धक(.....)/निगम सचिव/कार्यकारी प्रबन्धक(.....)रापनिगम, मु. जयपुर।
- 5 कार्यकारी प्रबंधक (जनसम्पर्क/संचालन), रापनिगम, जयपुर।
- 6 समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त/याता.), रापनिगम.....आगार।
- 7 आदेश/रक्षित पत्रावली।

(सोहन लाल धानका)

महा प्रबन्धक(यातायात)